

सार्वजनिक सूचना

यूपीसीएल द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की राजस्व आवश्यकता पिटीशन, वित्तीय वर्ष 2020-21 की ट्रू-अप पिटीशन, वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्य प्रगति समीक्षा तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 की टैरिफ निर्धारण पिटीशन पर विचार आमंत्रित किये जाते हैं।

वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) एवं टैरिफ पिटीशन के मुख्य अंश

- 1- यूपीसीएल, उत्तराखण्ड राज्य की एकमात्र वितरण अनुज्ञापि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की एआरआर की स्वीकृति तथा 2022-23 की विद्युत दरों के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष एक पिटीशन प्रस्तुत की है तथा राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं से वित्तीय वर्ष 2022-23 में चार्ज की जाने वाली फुटकर विद्युत दरों के पुर्नरीक्षण का प्रस्ताव किया है।
- 2- यूपीसीएल ने उपरोक्त पिटीशन के माध्यम से आडिटेड लेखों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के खर्चों के Truing up का प्रस्ताव भी किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की संशोधित एआरआर एवं संशोधित राजस्व अन्तर व वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अनुमानित एआरआर एवं वर्ष 2022-23 के राजस्व अन्तर का विवरण निम्नवत् है:

(आकड़े ₹0 करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		यूपीसीएल द्वारा अनुमानित		
		आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित अन्तिम True - up	आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल के संशोधित अनुमान	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
अ	खर्च							
1	ऊर्जा क्रय लागत #	5541.65	4568.91	5269.47	5137.54	5621.07	6060.55	6527.84
2	यूजेवीएनएल की बकाया कमी / (अधिक्य)	-	-	(27.61)				
3	एसएलडीसी चार्ज	286.49	288.82	288.11	292.10	300.86	309.89	319.18
4	राज्य के पारेषण व्यय							
5	अर्न्तराज्य पारेषण व्यय	429.89	607.03	614.55	621.33	641.63	660.88	680.71
6	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	554.19	614.52	595.27	652.95	716.64	780.54	860.63
7	ब्याज प्रभार (उपभोक्ताओं की जमानत राशि पर ब्याज सहित)	135.94	188.08	128.06	163.97	169.54	183.90	197.08
8	गारंटी फीस	1.52	0.55	1.24	0.55	0.55	0.55	0.55
9	ह्रास	167.47	167.21	178.80	196.42	222.31	247.52	276.08

क्रम सं०	विवरण	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		यूपीसीएल द्वारा अनुमानित		
		आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित अन्तिम True - up	आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल के संशोधित अनुमान	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
10	अंशपूजी पर ब्याज	114.55	106.82	117.87	166.95	192.27	215.07	240.62
11	कार्यशील पूजी पर ब्याज	0.00	96.88	121.86	135.02	123.20	129.02	135.36
12	लाभ / हानि के अंश का प्रभाव	0.00	(6.60)					
13	सकल व्यय	7231.69	6632.22	7287.63	7366.84	7988.09	8587.92	9238.05
ब.	घटाया : नॉन टैरिफ आय	244.41	286.81	282.72	286.81	286.81	286.81	286.81
	गत वर्ष के Truing up का प्रभाव कमी / (आधिक्य)	(30.16)	(30.16)	620.30	0.00	178.38	0.00	0.00
स.	कुल राजस्व आवश्यकता	6957.12	6315.25	7625.22	7080.03	7879.66	8301.11	8951.24
द.	अनुमोदित / लागू विद्युत दरों पर राजस्व	7052.99	6172.78	7684.78	-	7432.10	-	-
य.	राजस्व आधिक्य / (कमी) (स-द)	(95.87)	178.38^	(59.55)	-	447.56	-	-

वॉटर टैक्स तथा आर.पी.ओं सहित।

^ रु० 35.91 करोड़ की carrying cost सहित।

- 3- यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के Truing up के प्रभाव सहित राजस्व की कुल कमी रु० 447.56 करोड़ अनुमानित की है।
- 4- बिजनेस प्लान में वितरण हानियों को कम करने की प्रस्तावित ट्राजेक्टरी के आधार पर यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 13.50 प्रतिशत की वितरण हानियां अनुमानित की है। वर्ष 2021-22 में यूजेवीएन लिमिटेड तथा केन्द्रीय विद्युत उत्पादन गृहों से उत्पादित विद्युत की फिक्सड चार्जेज, वर्ष 2021-22 (बकाया रहित) के प्रथम छः महिनों के फिक्स चार्ज को दोगुना कर आगणित की गयी है तथा इन चार्जेज में 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लगाकर वर्ष 2022-23 से 2024-25 के फिक्सड चार्जेज आगणित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की परिवर्तनशील लागत का अनुमान लगाने के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रति यूनिट परिवर्तनशील लागत में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि ली गयी है। इसी प्रकार पीजीसीआईएल के पारेषण चार्जेज की गणना "प्रति यूनिट आधार" पर वर्ष 2021-22 में प्रदेश के बाहर से क्रय की गयी ऊर्जा पर वास्तविक प्रति यूनिट लागत में 3 प्रतिशत वृद्धि लेकर आगणित की गयी है। राज्य के ट्रांसमिशन चार्जेज तथा स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर चार्जेज का अनुमान लगाने के लिये वर्ष 2021-22 के प्रथम छः महिने के चार्जेज को दोगुना कर

वर्ष 2021-22 तथा इनमें 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लगाकर वर्ष 2022-23 से 2024-25 के चार्ज की गणना की गयी है।

- 5- यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के Truing up तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 की एआरआर तथा राजस्व की कुल कमी रु0 447.56 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैरिफ में वृद्धि कर वसूली का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार यूपीसीएल ने वर्तमान में उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों में 6.02 प्रतिशत औसत वृद्धि का प्रस्ताव किया है।
- 6- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर एवं यूजेवीएन लिमिटेड ने भी नियन्त्रण अवधि वर्ष 2022-23 के लिये अपनी एआरआर एवं टैरिफ पिटीशन आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है। यदि आयोग द्वारा इनके दावे स्वीकार किये जाते हैं, तो उपभोक्ता टैरिफ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10.18 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- 7- यूपीसीएल ने रु0 447.56 करोड़ की कमी को पूरा करने के लिये वर्तमान में लागू विद्युत दरों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये निम्नानुसार संशोधन का प्रस्ताव किया है:

श्रेणी	फिक्स/डिमांड चार्ज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
आरटीएस-1: घरेलू				
1.1 लाईफ लाईन उपभोक्ता	रु0 18/ कनेक्शन/ माह	रु0 18/कनेक्शन / माह	रु0 1.61/kWh	रु0 1.61/kWh
1.2 अन्य घरेलू उपभोक्ता				
(i) उपभोग 100 यूनिट प्रतिमाह तक	रु0 60/ कनेक्शन/ माह	रु0 62/ कनेक्शन/ माह	रु0 2.80/kWh	रु0 2.87/kWh
(ii) उपभोग 101-200 यूनिट प्रतिमाह	रु0 120/ कनेक्शन/ माह	रु0 126/ कनेक्शन/ माह	रु0 4.00/kWh	रु0 4.22/kWh
(iii) उपभोग 201-400 यूनिट प्रतिमाह	रु0 200/ कनेक्शन/ माह	रु0 215/ कनेक्शन/ माह	रु0 5.50/kWh	रु0 5.92/kWh
(iv) उपभोग 400 यूनिट से अधिक प्रतिमाह	रु0 300/ कनेक्शन/ माह	रु0 330/ कनेक्शन/ माह	रु0 6.25/kWh	रु0 6.88/kWh
1.3. सिंगल प्वाइन्ट बल्क सप्लाय 75 कि0वा0 से अधिक	रु0 95/ किवा/माह	रु0 105/ किवा / माह	रु0 5.15/kWh	रु0 5.67 /kWh
आरटीएस-1ए:स्नोबाउन्ड				
घरेलू	रु0 18/ कनेक्शन/ माह	रु0 18/ कनेक्शन/ माह	रु0 1.61 /kWh	रु0 1.61 /kWh
अघरेलू (1 किवा भार तक)	रु0 18/ कनेक्शन/ माह	रु0 18/ कनेक्शन/ माह	रु0 1.61 /kWh	रु0 1.61 /kWh
अघरेलू (1 किवा से अधिक एवं 4 किवा भार तक)	रु0 18/ कनेक्शन/ माह	रु0 18/ कनेक्शन/ माह	रु0 2.36 /kWh	रु0 2.36 /kWh
अघरेलू (4 किवा से अधिक भार)	रु0 30/ कनेक्शन/ माह	रु0 30/ कनेक्शन/ माह	रु0 3.51 /kWh	रु0 3.51 /kWh

श्रेणी	फिक्स/डिमांड चार्जेज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
आरटीएस-2 अघरेलू				
1. (i) सरकारी/म्यूनिसिपल अस्पताल (ii) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थायें (iii) चेरिटेबिल संस्थायें जो आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत हो एवं जिनकी आय इस अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त हो।				
1.1 25 किवा भार तक	रु0 75/किवा/माह	रु0 80/किवा/माह	रु0 4.65 /kWh	रु0 4.93 /kWh
1.2 25 किवा से अधिक भार	रु0 85/केवीए/माह	रु0 92/केवीए/माह	रु0 4.40 /kVAh	रु0 4.75 /kVAh
2.अन्य अघरेलू/ वाणिज्यिक उपभोक्ता				
2.1 छोटे अघरेलू उपभोक्ता जिनका भार 4 किवा तक व उपभोग 50 यूनिट प्रति माह तक है	रु0 70/किवा/माह	रु0 70/किवा/माह	रु0 4.70 /kWh	रु0 4.70 /kWh
2.2 25 किवा0 भार तक	रु0 90/किवा/माह	रु0 95/किवा/माह	रु0 5.80 /kWh	रु0 6.15 /kWh
2.3 25 किवा से अधिक भार	रु0 90/केवीए/माह	रु0 96/केवीए/माह	रु0 5.80 /kVAh	रु0 6.21 /kVAh
3.सिंगल प्वाइन्ट बल्क सप्लाय (75 किवा से अधिक भार)	रु0 90/केवीए/माह	रु0 99/केवीए/माह	रु0 5.75 /kVAh	रु0 6.33 /kVAh
4.0 स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग्स	रु0 110/किवा/माह	रु0 121/किवा/माह	रु0 6.40 /kWh	रु0 7.04 /kWh
आरटीएस-3: गवर्नमेन्ट पब्लिक यूटिलिटिज				
1. नगरीय मीटर सहित	रु0 90/केवीए/माह	रु0 99/केवीए/माह	रु0 5.80 /kVAh	रु0 6.38 /kVAh
2. ग्रामीण मीटर सहित	रु0 80/केवीए/माह	रु0 86/केवीए/माह	रु0 5.80 /kVAh	रु0 6.21 /kVAh
आरटीएस-4: निजी नलकूप/पम्पिंग सेट				
मीटर सहित	Nil	Nil	रु0 2.08 /kWh	रु0 2.08 /kWh
आरटीएस-4 ए: एग्रीकल्चर एलाइड एक्टीवीटीज				
मीटर सहित	Nil	Nil	रु0 2.75 /kWh	रु0 3.03 /kWh
आरटीएस-5: निम्न एवं उच्च विभव उद्योग				
100 बीएचपी/75 किवा भार तक वाले निम्न विभव उद्योग				
1.1 अनुबन्धित भार 25 किवा तक	रु0 155/किवा/माह	रु0 163/किवा/माह	रु0 4.60 /kWh	रु0 4.83 /kWh
1.2 अनुबन्धित भार 25 किवा से 75 किवा0 तक	रु0 160/केवीए/माह	रु0 168/केवीए/माह	रु0 4.30 /kVAh	रु0 4.52 /kVAh
75 किवा/88 केवीए अनुबन्धित भार से अधिक वाले उच्च विभव उद्योग				
2.1 अनुबन्धित भार 1000 केवीए तक				
1- लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक	रु0 340 / केवीए /माह	रु0 369 / केवीए /माह	रु0 4.45 /kVAh	रु0 4.70 /kVAh

श्रेणी	फिक्स/डिमाड चार्जेज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
	बिल योग्य मांग पर	बिल योग्य मांग पर		
2- लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक	रु0 340 / केवीए / माह बिल योग्य मांग पर	रु0 369 / केवीए / माह बिल योग्य मांग पर	रु0 4.85 /kVAh	रु0 5.10 /kVAh
2.2 अनुबन्धित भार 1000 केवीए से अधिक				
1- लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक	रु0 410 / केवीए / माह बिल योग्य मांग पर	रु0 445 / केवीए / माह बिल योग्य मांग पर	रु0 4.45 /kVAh	रु0 4.70 /kVAh
2- लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक	रु0 410 / केवीए / माह बिल योग्य मांग पर	रु0 445 / केवीए / माह बिल योग्य मांग पर	रु0 4.85 /kVAh	रु0 5.10 /kVAh
आरटीएस-6: मिश्रित भार (75 किवा से अधिक सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाय एमईएस सहित)	रु0 110/किवा/ माह	रु0 117/किवा/ माह	रु0 5.45 /kWh	रु0 5.78 /kWh
आरटीएस-7: रेलवे ट्रेक्शन	रु0 265/केवीए/ माह	रु0 281/केवीए/ माह	रु0 4.70 /kVAh	रु0 4.98 /kVAh
आरटीएस-8: इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन	—	—	रु0 5.50 /kWh	रु0 5.50 /kWh

उद्योगों के लिये टी.ओ.डी. चार्जेज

उद्योग	इनर्जी चार्ज		
	सामान्य अवधि	पीक अवधि	ऑफ पीक अवधि
निम्न विभव उद्योग (25 किवा से अधिक भार)	रु0 4.52/kVAh	रु0 6.77/kVAh	रु0 3.61/kVAh
उच्च विभव उद्योग			
लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक	रु0 4.70/kVAh	रु0 7.65/kVAh	रु0 3.76/kVAh
लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक	रु0 5.10/kVAh	रु0 7.65/kVAh	रु0 4.08/kVAh

8 - उपरोक्त के अतिरिक्त यूपीसीएल ने निम्नलिखित भी प्रस्तावित किया है:

- बी.पी.एल. तथा निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिये टैरिफ वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।
- प्रीपेड मीटरिंग योजना जारी रखना।
- घरेलू तथा एच.टी. इण्डस्ट्री के फिक्सड चार्ज को युक्तिसंगत बनाना।

- (iv) घरेलू श्रेणी में 0 से 100 यूनिट के टैरिफ स्लैब में मात्र 2.5 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।
 - (v) घरेलू श्रेणी के अन्य स्लैब के टैरिफ में औसतन 5 से 6 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।
 - (vi) अघरेलू श्रेणी के टैरिफ में औसतन 6.4 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।
 - (vii) एल.टी. इण्डस्ट्री के टैरिफ में औसतन 5 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।
 - (viii) एच.टी. इण्डस्ट्री के टैरिफ में औसतन 5.7 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव।
 - (ix) दर सूची – आर.टी.एस. – 5 (एच.टी. इण्डस्ट्री) के 88 केवीए / 75 किलोवॉट (100 बी.एच.पी.) के इच्छुक उपभोक्ताओं को ग्रीन पॉवर की आपूर्ति के लिये ग्रीन पॉवर स्कीम तथा ग्रीन पॉवर टैरिफ के निर्धारण का प्रस्ताव।
 - (x) घरेलू श्रेणी के अनुरूप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टैरिफ का प्रस्ताव।
- 9– विस्तृत याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग अथवा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), वीसीवी गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून / मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 120–हरिद्वार रोड़, देहरादून / मुख्य अभियन्ता (वितरण), कुमाऊँ क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 132–के0वी0 सबस्टेशन, काठगोदाम, हल्द्वानी / मुख्य अभियन्ता (वितरण), हरिद्वार क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, रोशनाबाद, हरिद्वार / मुख्य अभियन्ता (वितरण), उधमसिंह नगर क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 33 केवी सबस्टेशन, सेक्टर-2, सिडकुल, पंतनगर, रुद्रपुर-263153 पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। याचिका के सम्बन्धित प्रपत्र यूपीसीएल के उपर्युक्त वर्णित कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 10– उक्त याचिका आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं यूपीसीएल की वेबसाईट (www.upcl.org) पर भी उपलब्ध है।
- 11– याचिका पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझाव/मत, यदि कोई हो, आमंत्रित किये जाते हैं। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0एस0बी0टी0, पोस्ट आफिस–माजरा, देहरादून – 248171 को अथवा ई–मेल (secy.uerc@gov.in) पर दिनांक 31-01-2022 तक भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव /मत यूपीसीएल के प्रत्येक सबस्टेशन पर स्थापित ड्रॉप बॉक्स में भी उक्त तिथि तक एक लिफाफे में रखकर डाले जा सकते हैं। यह लिफाफा सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को सम्बोधित होना चाहिये।

